बाल विवाह पर पुस्तिका

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

विषय-सूची

खंडन:	01
1. बाल विवाह क्या है?	02
2. बाल विवाह के दुष्प्रभाव	05
3. मिथक और तथ्य[1]	07
4. बाल विवाह से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान	08
5. प्राधिकरण और हितधारक	12
6. क्या किया जा सकता है	14

खंडन:

इस पुस्तिका में अधिनियम के बारे में सामग्री और तथ्य शामिल हैं, जिन्हें सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता (सी०एस०डब्ल्यू०) के लाभ के लिए सरल बनाया गया है| इसे एक उपयोगकर्ता के अनुकूल भाषा में भी तैयार किया गया है| यह पुस्तिका किसी भी तरह से बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 या इसके प्रावधानों का स्थान नहीं लेती है|

पुस्तिका में जागरूकता पैदा करने के लिए डेटा और उद्धरण शामिल हैं| जल्दी विवाह के बुरे प्रभावों को साबित करने के लिए यह डेटा सहयोग प्रदान करता है| यह पुस्तक समुदायों और समुदाय के सामाजिक कार्यों के बीच जागरूकता पैदा करने का काम करती है|

बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए इस पुस्तिका में विभिन्न कानून और प्रावधान हैं| यह पुस्तिका मुख्य रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 या इसके प्रावधानों पर केन्द्रित है| इसे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है|

1. बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह एक पारंपरिक प्रथा है, जो समाज में प्रचलित है। बाल विवाह की एक निश्चित आयु है, जिसके अनुसार, बच्चा वह व्यक्ति है, जिसने पुरुष के मामले में 21 साल और महिला के मामले में 18 साल पूरे नही किये हैं| बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत कुछ परिभाषाएं:-

(क) "बाल विवाह" का अर्थ ऐसे विवाह से है, जिसमें अनुबंध करने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है|

(ख) "बंधन में आने वाले पक्षकार" का अर्थ ऐसे पक्ष से है, जिसकी शादी है या होने वाली है|

(ग) "बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी" में धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी शामिल है|

(घ) "अवयस्क" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है, जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है|

बाल विवाह एक कुप्रथा है, जो एक बच्चे को उसके सभी अधिकारों से वंचित कर देती है| यह एक पुरानी सामाजिक बुराई है, जो हमारे समाज में प्राचीन काल से प्रचलित है| बाल विवाह का दुष्प्रभाव सभी संस्कृतियों में देखा जा सकता है; इसका जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं है| अनेक बार 8 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है| ग्रामीण इलाकों में लड़कों की शादी भी कानूनी उम्र के तहत कर दी जाती है| ऐसे भी अनेक मामले हैं, जहाँ लड़कियों की शादी अपने से बड़ी अवस्था के पुरुषों से की जाती है| कम उम्र में शादी करने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है| बाल विवाह से कई गहरे और प्रचलित मुद्दे भी जुडे हैं| अनेक बार छोटी उम्र में शादी करने के बाद लड़कियों के साथ दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) की घटनाएं भी सामने आई हैं|

1.1 बाल विवाह के कारण:

एक बालिका को पारंपरिक रूप से परिवार के लिए बोझ माना जाता है| उसके अधिकारों को हमेशा अनदेखा किया जाता है|

- माता-पिता द्वारा शीघ्र विवाह करने की पृष्ठभूमि के रूप में कई अन्य औचित्य दिये गए हैं| उनका कहना है कि दहेज़ की राशि को कम करने के लिए कम उम्र में शादी करना बेहतर है| हालाँकि दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत, दहेज़ लेना और देना अपराध है; लेकिन समाज में दहेज़ प्रथा अभी भी प्रचलित है|
- पारंपरिक समुदायों में यौन इच्छा के प्रति किसी लड़की के सवाल, असहमति या असुरक्षा के भावों का कोई महत्व नहीं है| कौमार्य ऐसे पारंपरिक मानदंडों में से एक है| एक मिथक है, जिसके अनुसार माता-पिता कहते हैं कि बाल-विवाह लड़की और उसके कौमार्य की रक्षा करता है| जल्दी शादी दुल्हन की शुद्धता और कौमार्य को सुरक्षित करने का एक तरीका माना जाता है|

- कोई भी समुदाय बच्चों पर होने वाले बाल-विवाह के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ था; इसीलिए धीरे-धीरे यह अभ्यास और परंपरा में बदलता चला गया|

1.2 विस्तार (यह अधिनियम किस पर लागू होता है)?

- यह भारत से बाहर तथा भारत के परे, भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों|
- हालाँकि यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है|

1.3 तथ्य और आंकड़े:

जनगणना 2011 ने बाल-विवाह के बारे में चिंता में डालने वाले आंकड़े जारी किये हैं| हर तीन विवाहित महिलाओं में से लगभग एक की शादी हो चुकी थी, जबकि उसकी उम्र अभी भी 18 वर्ष से कम थी| 2011 तक 78.5 लाख लड़कियों की शादी 10 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी| यह आंकड़ा उन सभी महिलाओं या लड़कियों का 2.3% है, जिन्होने कभी शादी की थी|

2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि सभी विवाहित महिलाओं में से 30.2% (10.3 करोड़) महिलाओं की शादी तब हो गई थी, जब वे 18 वर्ष की नहीं हुई थीं, हालाँकि इस आंकड़े में 2001 की जनगणना की तुलना में बेहतर सुधार आया है, जिसमें पता चला है कि 43.5% विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई थी|

चित्र 1 – भारत में बच्चे और उनका संरक्षण – विभिन्न सार्वजनिक डोमेन पर बच्चों का आंकड़ा उपलब्ध है, जैसे कि - जनगणना 2011, एनसीआरबी और एनएफएचएस 3. इन आंकड़ों को आधार बनाकर बच्चों पर केएससीएफ का संकलित आंकड़ा|

बाल विवाह	
विवाह की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले शादी करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या	1,21,07,181
शादी की कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले विवाह करने वाले लड़के (21 वर्ष से कम आयु में)	69,49,318
एक ही आयु वर्ग के कुल लड़कों में से कितने प्रतिशत लड़के शादी की कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले शादी कर रहे हैं	3%
विवाह की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले शादी करने वाली लडकियां (18 वर्ष से कम की अवस्था में)	51,57,863
एक ही आयु वर्ग की कुल लड़कियों में से कितनी प्रतिशत लड़कियां शादी की कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले शादी कर रही हैं	2%
ग्रामीण क्षेत्रों के कुल लड़के और लडकियां, जो विवाह की कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले शादी कर लेते हैं	75%
विवाहित बच्चों की कुल संख्या (0-17 वर्ष)	75,32,869

बाल विवाह	
शादीशुदा बच्चों के बीच कुल लडकियां (0-17 वर्ष)	68%
वर्तमान में विवाहित बच्चों की कुल संख्या (10-17 वर्ष)	71,83,814
वर्तमान में विवाहित लड़कियों की कुल संख्या (10-17 वर्ष)	49,42,730
15-17 वर्ष की आयु के बच्चों में बचपन की गर्भावस्था	
विवाहित लड़कियों की कुल वर्तमान संख्या	32,32,919
आयु वर्ग की कुल लड़कियों में विवाहित लड़कियों की कुल वर्तमान संख्या	10%
हर साल गर्भवती होने वाली लड़कियों की संख्या	2,64,626

1.3 विवाह और प्रजनन आंकड़ा – एनएफएचएस 4:

संकेतक	एनएफएचएस 4 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4) (2015-16)			एनएफएचएस 3 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3) (2005-06)
	शहरी	ग्रामीण	कुल	कुल
20-24 वर्ष तक की महिलाओं का प्रतिशत, जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हुई थी|	17.5%	31.5%	26.8%	26.8%
25-29 वर्ष तक के पुरुषों का प्रतिशत, जिनका विवाह 21 वर्ष से पहले हुआ था|	14.1%	24.4%	20.3%	32.3%
15-19 वर्ष तक की महिलाओं का प्रतिशत, जो सर्वेक्षण के समय माँ बन चुकी थीं या गर्भवती थीं|	5%	9.2%	7.9%	16.0%

- एनएफएचएस 4 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4) – सर्वेक्षण 2015-16 के लिए किया गया था, जो यह बताता है कि जिन महिलाओं की आयु 20--24 वर्ष के बीच थी, उनमें से 26.8% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी गई थी\| यह अपने-आपमें बड़ी संख्या है; किन्तु 2005-06 के लिए किये गए सर्वेक्षण एनएफएचएस 3 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3) की तुलना में इसमें सुधार हुआ है\| 2005-06 में यह प्रतिशत 47.4% था\|

- एनएफएचएस 4 यह भी दर्शाता है कि जिन पुरुषों की आयु 25-29 वर्ष के बीच थी, उनमें से 20.3 पुरुषों की शादी 21 वर्ष की आयु से पहले कर दी गई थी|
- एनएफएचएस 4 से पता चलता है कि जब सर्वेक्षण के लिए डाटा एकत्र किया जा रहा था, तब 15 से 19 वर्ष के बीच की 7.9% महिलाएं पहले ही माँ बन चुकी थीं या फिर गर्भवती थीं| एनएफएचएस 3 की तुलना में इस मामले में 16% का सुधार हुआ था|

2003 में, हरियाणा के एक गाँव में एक महिला सरपंच को 10 वर्षीय कमला के बारे में जानकारी मिली कि उसके माता-पिता ने चालीस साल के व्यक्ति से उसकी शादी की योजना बनायी है| महिला सरपंच तुरंत गाँव गई| वहां लड़की और उसका परिवार शादी स्थल तक जाने के लिए टैक्सी पर सवार होने वाला था| महिला ने स्थानीय पुलिस की मदद ली और बच्ची को बाल विवाह से बचाने में सफल रही| ऐसा कदम उठाने के कारण कमला के पिता को बाकी ग्रामीणों से बहुत विरोध और नफरत का सामना करना पड़ा| यदि सरपंच उचित समय पर विवाह समारोह में शामिल नहीं हुई होती, तो कमला को बहुत सी अनचाही स्थितियों को झेलना पड़ता|

2. बाल विवाह के दुष्प्रभाव:

- बाल विवाह बच्चे को उसके बचपन के अधिकार से वंचित करता है|
- बाल विवाह बच्चे को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है, जैसे – स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा|
- जिन लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, वे गर्भावस्था और इससे जुडे विषयों के बारे में बहुत कम जानकारी रखती हैं, शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होतीं; ऐसे में जल्दी गर्भावस्था वाली स्थितियों में माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है, जिससे शिशु और मातृ मृत्यु दर की संभावना बहुत अधिक होती है|
- बाल विवाह से पैदा होने वाले शिशुओं में जन्म के समय कम वजन, कुपोषण और एनीमिया की संभावना अधिक होती है|
- बाल विवाह के परिणामस्वरूप बच्चों पर बहुत सी सामाजिक जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं, जिससे उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है|
- जिन लड़कियों का बाल विवाह होता है, वे अकसर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं|
- बाल विवाह का अर्थ बाल बलात्कार से भी है, क्योंकि बच्चों को उस उम्र में उनके किसी भी कार्य या निष्क्रियता के लिए, परिपक्वता की आयु प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जा सकता|
- बाल वधु अनेक बार युवावस्था तक पहुँचते हुए वैधव्य को प्राप्त कर चुकी होती है और तब तक वह अनेक बच्चों को जन्म दे चुकी होती है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर होती है|

- लड़कों की जल्दी शादी उनके अधिकारों का उतना ही उल्लंघन है, जितनी लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन| बाल विवाह लड़कों से उनकी पसंद का अधिकार छीन लेता है और उनकी उम्र और क्षमता से परे उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को थोप देता है|

कंचन एक 14 साल की लड़की है| उसकी एक साल पहले शादी हुई थी| उसका पति उससे दो साल बड़ा है तथा वह भी नाबालिग है| कंचन झारखंड के एक दूरदराज़ के गाँव में रहती थी| उसके माता-पिता भूमिहीन मजदूर थे, जो 13 लोगों के अपने परिवार के सभी सदस्यों का पेट भरने के लिए अन्य व्यक्तियों के खेतों या क्षेत्रों में काम करते हैं| कंचन अपने 11 भाई-बहनों में सबसे बड़ी लड़की है| उसने कक्षा 8 तक पढाई की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्कूल से बाहर निकल आई ताकि अपने परिवार की मदद करने के लिए उसे समय मिल सके| वह अपनी पढाई पूरी कर शिक्षिका बनना चाहती थी और इसीलिए जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी| उसने अपनी शादी का विरोध किया; किन्तु अपने परिवार की ख़राब आर्थिक स्थिति और परिवार पर बड़ी बेटी की शादी करने के दबाव को देखते हुए उसने अपनी इच्छा को मार लिया ताकि परिवार उसे बोझ न समझे|

2.1 बाल-विवाह के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव:

- अवसाद (डिप्रेशन)
- शर्म या संकोच और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण समाज से अलगाव
- स्कूली शिक्षा प्राप्त न करने के कारण उन्हें उभरने का मौका नहीं मिलता और वे सामाजिक नहीं हो पाते
- तथ्यों के संपर्क में न होने के कारण वे जागरूक नहीं हो पाते
- उनमें चिंता, घबराहट या व्याकुलता बनी रहती है
- बालिका के साथ होने वाला शोषण, उसके किशोर के बाद भी उसकी क्षमता को विकसित नहीं होने देता
- शिक्षा से वंचित
- स्वतंत्रता को समाप्त करता है
- बालिका वधु अपने स्वयं के साथी के द्वारा शोषित होती हैं, किन्तु उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वह स्वयं का बचाव कर सके या मदद के लिए किसी से संपर्क कर सके|
- यदि बालिका शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं होती, तो बहुत अधिक युवावस्था में मातृत्व माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है|

3. मिथक और तथ्य[1]

1. बाल विवाह एक सांस्कृतिक प्रथा है और हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए|

   तथ्य– कई समुदायों में बाल विवाह सदियों से एक परंपरा रही है, इसलिए इसे संस्कृति के मुख्य भाग के रूप में देखा जा सकता है| लेकिन सभी सांस्कृतिक प्रथाएं सकारात्मक नहीं होती| बाल विवाह लड़कियों को शिक्षा और आर्थिक अवसरों से वंचित करता है तथा उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालता है|

2. "बाल विवाह केवल लड़कियों का होता है|"

   बाल विवाह लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी होता है| कम उम्र में शादी के बाद लड़कों को आत्मनिर्भर होने के लिए अकसर कार्यस्थल की ओर धकेला जाता है| वे अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते और किशोर होने से पहले ही किशोरावस्था की सारी जिम्मेदारियों के तले वे दब जाते हैं|

3. "बाल विवाह एक पारिवारिक मामला है| इससे हमारा कोई मतलब नहीं है|"

   बाल विवाह के परिणाम केवल परिवार के भीतर ही नहीं रहते| जब 12 मिलियन लड़कियों की शादी हर साल 18 वर्ष की उम्र होने से पहले ही कर दी जाती है, तो उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है| बाल विवाह गरीबी, असमानता और उत्पीडन के चक्र को बनाये रखता है – एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक| यह दुनिया भर में लैंगिक असमानता की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक है| यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है|

4. "बाल विवाह एक धार्मिक समस्या है"

   बाल विवाह किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है| यह हिन्दू, मुस्लिम या कैथोलिक धर्म की लड़कियों का ही नहीं, अन्य धर्मों की लड़कियों का भी होता है| वास्तव में धार्मिक नेता बाल विवाह से निबटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं| वे जांच कर सकते हैं कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन की उम्र शादी की कानूनी उम्र से ऊपर है| वे धार्मिक ग्रंथों की प्रगतिशील व्याख्या को बढ़ावा दे सकते हैं और zलोगों को यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि धर्म में कहीं बाल विवाह की बात नहीं कही गई है|

5. लडकियां पूरी तरह से असहाय होती हैं|

   यदि लडकियां शिक्षित हों, तो बाल विवाह को समाप्त करने में लड़कियों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है| शिक्षा उन्हें उनके अधिकारों से परिचित कराती है| कई लडकियां, जो कभी बाल विवाह से जूझ रही थीं, अब इस प्रथा को समाप्त करने की वकालत कर रही हैं| जो लडकियां बाल विवाह के मुद्दे से जूझते हुए बाहर निकली हैं, उनके अनुभव का लाभ अपने साथियों और समुदाय के दिमाग को बदलने के लिए उठाया जा सकता है|

[1] https://www.girlsnotbrides.org/8-child-marriage-myths-bust-international-womens-day-2017/

ऋतु एक 13 साल की लड़की है, जो काठमांडू के पास एक दूर-दराज के गाँव में रहती है| घरेलू मदद के रूप में काम करके वह अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा सके, इस हेतु एक रिश्तेदार उसे दिल्ली ले आया| वह एक परिवार में रहती है और छह महीने से अधिक समय तक वहां काम करती है; लेकिन परिवार द्वारा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और उसे भुगतान करने से भी मना किया जाता है| ऋतु वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है| वह वापस अपने घर जाना चाहती है| बस स्टैंड पर उसे एक महिला मिलती है, जो उसकी मदद करने और उसे उसके घर वापस भेजने का वादा करती है| लेकिन घर पहुंचाने की बजाये ऋतु को हरियाणा के एक घर में पहुंचा दिया जाता है, जो अपने बेटे के लिए 30,000 रुपये में दुल्हन की तलाश में रहती है| एक साल बाद ऋतु को उसकी माँ की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के परिवार से बचाया जाता है, जो उसके ठिकाने के बारे में जानती थी| ऋतु को अब उसकी माँ के पास भेजने के लिए दिल्ली के एक आश्रय गृह में रखा गया है| उसके पति सहित उसके ससुराल वाले पुलिस हिरासत में हैं और वह खुद 15 साल की उम्र में 5 महीने की गर्भवती है|

4. बाल विवाह से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान

4.1 पृष्ठभूमि

बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई के रूप में मान्यता देते हुए, बाल विवाह निवारण अधिनियम (सी०एम०आर०ए०) 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता पूर्व युग में आया था| इस अधिनियम ने 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों तथा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगा दी थी| यह कानून भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू है|

1978 में, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून में संशोधन किया गया और विवाह की न्यूनतम आयु तीन वर्ष बढ़ा दी गई; यानि लड़कियों के मामले में 15 से 18 और लड़कों के मामले में 18 से 21 साल कर दी गई| संशोधित कानून को बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 के नाम से जाना गया| हालाँकि, कानून के बावजूद बाल विवाह होते रहे|

बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 की कमियों को दूर करने और उन्हें ठीक करने के लिए 2006 में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लाया गया| यह अधिनियम 1 नवम्बर, 2007 को लागू हुआ| नाम में परिवर्तन का अर्थ बाल विवाह की रोकथाम और निषेध को प्रकट करना था| पिछले अधिनियम ने बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही करने को मुश्किल और समय लेने वाला बना दिया था|

बाल विवाह निषेध अधिनियम (पी०सी०एम०ए०) में बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को सुरक्षा और राहत देने और उन लोगों के लिए सजा में वृद्धि के प्रावधान हैं, जो इस तरह के विवाह के लिए उकसाते हैं, बढ़ावा देते हैं तथा ऐसे विवाह का आयोजन करवाते हैं| यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) की नियुक्ति की बात भी करता है, जिससे अधिनियम को लागू किया जा सके|

4.2: बाल विवाह क्या है?

- बाल विवाह का अर्थ ऐसा विवाह है, जिसमें अनुबंध करने वाले पक्षों में से एक बच्चा है|
- अनुबंध करने वाले पक्षों का मतलब उन पक्षों से है, जिनकी शादी है या होने वाली है|

4.3: बाल विवाह के मामले में किसे 'बालक' माना जाता है?

बच्चा एक ऐसा व्यक्ति है, जो:

- यदि महिला है - उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है|
- यदि पुरुष है - उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है|

4.4: शिकायत कौन कर सकता है?

- जो कोई भी जानता है कि बाल विवाह पहले ही हो चुका है या होने की संभावना है|
- किसी को भी इस बात का पता है या विश्वास करने का कोई कारण है कि बाल विवाह होने वाला है|
- एक गैर-सरकारी संगठन, जिसके पास उचित जानकारी है|

4.5: सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) कौन है?

- सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) – सी०एम०पी०ओ० राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है, जो पूरे राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार है|
- राज्य सरकार कभी-कभी निम्न से अनुरोध करती है -
  - इलाके के सम्मानित सदस्य, जो समाज सेवा करने के लिए जाने जाते हैं
  - ग्राम पंचायत के सदस्य
  - नगर पालिका अधिकारी
  - सरकार या कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
  - गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०)

बाल विवाह पर रोक लगाने में सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) की सहायता करना

- जिलाधिकारी अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर सी०एम०पी०ओ० की शक्ति को स्वत: मान लेता है, जब कई बाल विवाह एक साथ होते हैं|

4.6: कहाँ रिपोर्ट करें?

- सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी)
- चाइल्डलाइन - 1098
- पुलिस – 100
- महिला हेल्पलाइन
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- जिला अधिकारी
- प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय
- मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत
- बाल कल्याण समिति

4.7: सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) क्या करता है?

सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) के लिए निम्न बातें अनिवार्य हैं -

- बाल विवाह का उत्सव
- अपराधियों पर लगे इल्जाम के लिए सबूत
- व्यक्तिगत मामले देखना तथा इलाके के निवासियों को सलाह देना कि बाल विवाह संपन्न कराने में किसी प्रकार का कोई सहयोग न दें, उसे बढ़ावा न दें, विवाह के उत्सव में लिप्त न हों, कोई सहायता प्रदान न करें या बाल विवाह की अनुमति न दें
- बाल विवाह की बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना
- बाल विवाह होने पर समुदाय को बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाना

4.8: किसको सजा हो सकती है?

- नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क पुरुष को सजा हो सकती है
- जो भी बाल विवाह कराते हैं, जैसे पुजारी या धार्मिक प्रमुख, जो बाल विवाह के समारोह की अध्यक्षता करते हैं
- जो कोई भी बाल विवाह आयोजित करता है, जैसे – माता-पिता, अभिभावक या कोई भी, जिस पर उस बच्चे के संरक्षण का दायित्व है, जिसकी शादी हो रही है

- जो कोई बाल विवाह का निर्देशन करता है या उसके लिए उकसाता है, जैसे कि कोई रिश्तेदार, जो बाल विवाह का प्रस्ताव लाता है या मध्यम व्यक्ति, जो बाल विवाह करने में मदद करने के लिए दो परिवारों के बीच हस्तक्षेप करता है
- जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करने में किसी भी तरह से भाग लेता है, वह बाल विवाह की अनुमति देता है, जैसे कि – मेहमान, कैटरर, टेंट, प्रदाता, डेकोरेटर या कोई भी, जिसने बाल विवाह को संपन्न करने में अपनी सेवाएं दी हैं
- जिस किसी को भी पता है कि बाल विवाह होने जा रहा है तथा वह उसकी रिपोर्ट करने या उसे रोकने में विफल रहता है

सजा

- 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों
- इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं

अपवाद

- किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं होगी

4.9: बाल विवाह को अमान्य और शून्य कैसे घोषित किया जा सकता है?

- कोई भी व्यक्ति, जो अपनी शादी के समय बच्चा था, वह अपनी शादी को समाप्त कर सकता है
- याचिका बालक/बालिका द्वारा वयस्कता प्राप्त करने (18 साल) के बाद 2 वर्ष पूरा करने के भीतर दायर की जा सकती है
- सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) के साथ-साथ माता-पिता/ अभिभावक/ मित्र या अन्य व्यक्ति नाबालिग की ओर से विवाह को रद्द कर सकते हैं
- जिला अदालत, जो विवाह को अमान्य या शून्य घोषित करती है, दोनों पक्षों के माता-पिता या अभिभावकों को निर्देश दे सकती है कि वे इस तरह के विवाह के अवसर पर प्राप्त किसी भी उपहार, मूल्यवान गहने या सामान मूल्य की राशि लौटाएं
- यदि बाल विवाह को रोकने हेतु न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाता है, तो उस आदेश का उल्लंघन होने पर आयोजित किसी भी बाल विवाह को शून्य माना जाएगा

4.10: निम्नलिखित परिस्थितियों में विवाह को अमान्य और शून्य माना जाता है

- अगर बच्चे को उसके वैध अभिभावक से दूर ले जाया जाता है और उसकी शादी की जाती है
- यदि बच्चे की शादी बलपूर्वक या धोखे से कराई गई है
- यदि बच्चा विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है
- अगर बच्चा शादीशुदा है और फिर बेच दिया जाता है या उसका दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है

4.11: बाल विवाह के महिला संविदा पक्ष के निवास-स्थान के रखरखाव के लिए क्या प्रावधान हैं?

- यदि दूल्हा नाबालिग है, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को अदालत द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि वह लड़की का पुनर्विवाह होने तक उसे रखरखाव शुल्क का भुगतान करें
- जो राशि दी जानी है, उसका निर्णय अदालत द्वारा बालिका की जरूरतों, उसकी जीवन शैली और भुगतान करने वाले पक्ष की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा
- न्यायालय मासिक या एक मुश्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है
- यदि कोई लड़की अपनी शादी को रद्द करने के लिए संपर्क करती है, तो अदालत उसका फिर से विवाह होने तक उसके उपयुक्त निवास के आदेश दे सकती है

4.12: बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों को संरक्षण और रखरखाव कौन प्रदान करेगा?

- न्यायालय बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे के हित और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करता है
- न्यायालय शादी के किसी भी एक पक्ष या बच्चे के अभिभावक द्वारा बच्चे के लिए रखरखाव प्रदान करने का आदेश भी दे सकती है
- ऐसी शादी से पैदा होने वाले हर बच्चे को वैध माना जाना चाहिए

5. प्राधिकरण और हितधारक

5.1: न्यायालय की शक्तियां:

- शिकायत प्राप्त होने पर यदि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि बाल विवाह संपन्न किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कर सकता है
- प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट किसी भी विश्वसनीय जानकारी के आधार पर स्व-प्रेरणा (स्यू-मोटो) से संज्ञान ले सकते हैं
- आवश्यक होने पर अदालत बिना किसी पूर्व-सूचना के अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकती है

5.2: डी०एम० (जिलाधिकारी) की शक्तियां:

- अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए, जिलाधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) की सभी शक्तियों के साथ सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) माना जाएगा
- जिलाधिकारी के पास बाल विवाह को रोकने या उस पर प्रतिबंध लगाने की अतिरिक्त शक्तियां हैं
- जिलाधिकारी सभी उचित उपाय कर सकते हैं और बाल विवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग कर सकते हैं

5.3: शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है

बाल विवाह रोकने के लिए सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) को सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्कूल शिक्षक को धारा 16 के तहत उत्तरदायी बनाया गया है| बाल विवाह रोकने में स्कूल के शिक्षक अहम् भूमिका निभा सकते हैं|

शिक्षक क्या कर सकते हैं

- जैसे ही आपको पता चले कि बाल विवाह किया जा रहा है या होने वाला है, निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें
- यदि पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है या पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहती है, तो शिकायत दर्ज करने के लिए निकटतम न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जायें| एक फ़ोन कॉल करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन /एस०पी० (पुलिस अधीक्षक)/ चाइल्डलाइन/ बाल कल्याण समिति/ महिला और बाल विकास विभाग या राज्य में समाज कल्याण विभाग आदि को लिखें|
- यदि पुलिस स्टेशन दूर है या आस-पास के क्षेत्र में कोई न्यायालय नहीं है, आप बच्चों के साथ काम करने वाले निकटतम गैर-सरकारी संगठन से भी सहायता ले सकते हैं|
- स्कूल में उन बच्चों पर सीधी नज़र रखें, जो स्कूल में अपनी नियमित उपस्थिति रखकर बाल विवाह के संभावित शिकार हो सकते हैं|
- यदि स्कूल में बच्चे की उपस्थिति चिंताजनक है और उसकी शादी होने की संभावना है, तो तुरंत बच्चे के घर पर जायें
- माता-पिता से बात करें और उन्हें शादी के नकारात्मक परिणामों के बारे में बताकर उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वे अपने बच्चों की जल्दी शादी न करें|
- माता-पिता को बाल विवाह के कानून के बारे में बतायें कि यह कानून बाल विवाह को अपराध घोषित करता है और उन माता-पिता के लिए कानूनी परिणामों को प्रस्तुत करें, जो अपने बच्चों की शादी करवाते हैं|
- स्कूल में बच्चों को शिक्षित करें कि बाल विवाह कानून के तहत प्रतिबंधित है|
- स्कूल में बच्चों को उनके अधिकारों और प्रत्येक बच्चे के लिए इन अधिकारों की उपलब्धता के बारे में शिक्षित करें, चाहें उनका लिंग, जाति, जातीयता, धर्म कुछ भी हो|
- चित्र, लेखन, नाटक और चर्चा जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से बाल विवाह के बारे में अपनी चिंताओं और विचारों को व्यक्त करने में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें|
- विशेष सत्र आयोजित करें और बाल विवाह के बारे में बात करने के लिए पुलिस और सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) के सदस्यों को आमंत्रित करें|

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 11 उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान करती है, जो बाल विवाह की अनुमति देते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं| इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी बाल विवाह के बारे में जानता है, जो होने वाला है या हो रहा है या हो चुका है और उस विवाह के बारे में रिपोर्ट नहीं करता, वह सुनिश्चित करे कि वह बाल विवाह की अनुमति नहीं देता या इसे बढावा नहीं देता| इस अपराध के लिए उसे वर्तमान कानून तथा साथ ही भारतीय दंड संहिता के तहत भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है|

6. क्या किया जा सकता है:

6.1: यदि बाल विवाह निकट भविष्य में होने वाला है, तो:

- उन बच्चों के घर जायें, जिनका विवाह होने जा रहा है और उनके माता-पिता को अवगत कराएं कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और उन्हें सलाह दें कि विवाह का आयोजन न करें|
- अभिभावकों/ रिश्तेदारों /समुदाय के बुजुर्गों से बात करें तथा उन्हें जागरूक करें और कोशिश करके उन्हें इस बात के लिए सहमत करें कि वे बाल विवाह के खिलाफ जा सकें|
- बच्चे से बात करने की कोशिश करें, बच्चे को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराएं और बच्चे को बताएं कि विवाह की उचित उम्र से कम उम्र में विवाह न करना उसका अधिकार है|
- बाल विवाह के खिलाफ माता-पिता को समझाने के लिए पंचायत, स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों/ लोक सेवकों या स्थानीय एन०जी०ओ० की सहायता लें|
- पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधी को गिरफ्तार करें| पुलिस के पास अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत शक्तियां हैं ताकि संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकें|
- यदि माता-पिता ने बाल विवाह रोकने के लिए मना कर दिया, तो धारा 13 के तहत निषेधाज्ञा आदेश की मांग करते हुए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज कराएं|

6.2: यदि विवाह वर्तमान में हो रहा है, तो:

- शादी होने के सबूत एकत्र करें (जैसे कि तस्वीरें, निमंत्रण, शादी के उद्देश्यों के लिए किये गए भुगतान की रसीदें)|
- उन अपराधियों की एक सूची बनाएं, जो विवाह की व्यवस्था करने, उसमें प्रदर्शन करने, अपना समर्थन देने, प्रोत्साहित करने, मदद करने तथा उसमें शामिल होने के लिए जिम्मेदार हैं|
- पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करें|
- सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) को शिकायत करें|
- अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक बाल विवाहों के अवसर पर जिलाधिकारी को सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) की शक्तियां दी जाएँगी|

6.3: यदि बाल विवाह पहले ही हो चुका है:

- हो चुके विवाह के सबूत एकत्रित करें (जैसे कि तस्वीरें, निमंत्रण, विवाह के प्रयोजनों के लिए किये गए भुगतान की रसीद, गवाह आदि)|
- उन अपराधियों की एक सूची बनाएं, जो विवाह की व्यवस्था करने, उसमें प्रदर्शन करने, अपना समर्थन देने, प्रोत्साहित करने तथा उसमें शामिल होने के लिए जिम्मेदार थे|
- पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करें|
- याद रखें कि ऐसे अपराधों में शामिल महिलाएं भी अपराधी हैं, हालाँकि उन्हें कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है| इसलिए जहाँ आवश्यक हो, गिरफ्तारी की जानी चाहिए| महिला अपराधियों पर जुर्माना लगाने का फैसला अदालत करेगी|
- कोई भी व्यक्ति, जो अपनी शादी के समय बच्चा था, अपनी शादी को समाप्त कर सकता है|
  - विवाह शून्य घोषित करने के लिए याचिका बालक-बालिका द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष पूरा करने के भीतर दायर की जा सकती है|
  - सी०एम०पी०ओ० (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) के साथ-साथ माता-पिता/ अभिभावक/ मित्र या अन्य व्यक्ति नाबालिग की ओर से विवाह को रद्द कर सकते हैं|

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वैबसाइट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)